"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्रधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]　　　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2022- श्रावण 17, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2022

अधिसूचना

क्रमांक- 4879/पंग्रविवि/22/2022/-छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा-129 क से 129 च सहपठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात: -

नियम

छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शरर्षक, सीमा और प्रारंभ-**
    1. इस नियम का नाम **छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022** है।
    2. यह नियम राज्य के उन सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा जहां पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य अधिनियम 1993 लागू है।
    3. यह नियम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं :**

इस नियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1. **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है **"पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधनियम, 1996 (संख्यांक 40)"**

2. **"ग्राम"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 129-क के कंडिका ख में यथा परिभाषित "ग्राम"।

3. **"ग्राम-सभा"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 129-क के कंडिका क में यथा परिभाषित "ग्राम-सभा"।

4. **"लघु वनोपज"** से अभिप्रेत है, अनुसूचित अनजाति एवं अन्य परंपरागत वन वासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (झ) में यथा परिभाषित।

5. **"लघु जल निकाय (वाटर बाडी)"** से अभिप्रेत है, गांव की सीमा में आने वाले अन्य किसी नाम से जाने जाने वाली संरचनाएं आएगी जिसका क्षेत्रफल 10 हेक्टयर तक हो।

6. **"साहूकार"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 के तहत यथा परिभाषित साहूकार।

7. **"वन्य जीव"** से अभिप्रेत है वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु है जो प्रकृति में स्वच्छंद पाए जाते हैं।

8. **"जैव विविधता"** से अभिप्रेत है जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 (ग) द्वारा परिभाषित।

9. **"सामुदायिक संसाधन"** से अभिप्रेत है सामुदायिक प्रयोजन के लिए ग्राम सभा के पारंपरिक सीमा क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक संसाधन जिसमें जल, जंगल, जमीन, खनिज और अन्य संसाधन जो निजी स्वामित्व से अलग है, जो पारंपरिक रूढियों से चली आ रही है।

10. **"सामुदायिक अधिकार"** से अभिप्रेत है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत नियम 2(1)(ग क) अंतर्गत यथा परिभाषित।

11. **"कलेक्टर"** से तात्पर्य है कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा उस प्रयोजन हेतु अधिकृत अधिकारी।

12. **"विहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है शासन द्वारा इस निमित घोषित विहित प्राधिकारी।

3. उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नही है वही अर्थ होंगे, जो क्रमश: अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों में उनके है।

अध्याय-2

ग्राम सभा की संरचना, शक्ति तथा कार्यप्रणाली

4. नए ग्राम का गठन

1. ग्राम वासी चाहे तो वह पूर्व से चली आ रही पारंपरिक/ रूढ़िगत सीमा/सरहद क्षेत्र के अनुसार अपने गांव की प्रकिया अनुसार स्थापना कर सकेंगे।

2. ऐसे मोहल्ले या पारे की जनसंख्या जो मूल पंचायत की जनसंख्या का 1/3 या 100 जो अधिक हो, तो एक नया गांव बनाने हेतु प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित कर कलेक्टर को भेज सकते हैं।

3. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129-ख के अनुसार राज्यपाल, लोक अधिसूचन द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

5. ग्राम सभा की संरचना एवं गठन

1. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 (क) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट "ग्राम" के लिए साधारणत: एक ग्राम सभा होगी। परंतु आवश्यकतानुसार ग्राम या ग्रामो के समूह के लिए आवास या आवासों के समूहो के लिये या मोहल्ला, मजरा, टोला, पारा के लिए जिसमें समाविष्ट समुदाय परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापो का प्रबंध करता हो, के लिये एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकेगा।

2. नया ग्राम सभा गठन हेतु विद्यमान ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक कोरम में इस आशय का संकल्प पारित कर विहित प्रधिकरी को सूचित करेंगे।

3. प्रस्ताव प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी पृथक ग्राम सभा गठित करने के आशय से एक सार्वजनिक सूचना निर्धारित प्रारूप में जारी करेगा।

4. उक्त सूचना को संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर तथा सहज-दृष्य स्थान पर चिपकवाकर प्रकाशित करेगा।

5. विहित प्राधिकारी सूचना में निर्दिष्ट तारीख तक आपत्ति या सुझाव प्राप्त करने के पश्चात ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र की जनसंख्या, ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी, प्रस्तावित क्षेत्र में रहवासी मतदाताओं की रूढ़ियां एवं परम्पराओं आदि पर विचार कर नई ग्राम सभा के गठन का विनिश्चय करेगा तथा निर्धारित प्रारूप में नवीन ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना जारी करेगा।

6. ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य

(क) किसी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को छ.ग.पं.रा.अधि. 1993 की धारा-7 एवं 129-ग के अनुसार शक्तियां एवं कृत्य होंगी। इसके अतिरिक्त उन नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाये और ऐसे साधारण या विशेष आदेशो के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाये, अधीन रहते हुए ग्राम सभा की निम्नानुसार शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात-

1. ग्राम पंचायत के कार्यों की प्रगति की नियमित पर्यवेक्षण करना।

2. ग्राम की भूमि पर अनाधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमण की स्थिति में समीक्षा करना और उन्हें हटाने के संबंध में तहसीलदार को अवगत कराना।

3. गौण खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (prospecting license) खनन पट्टा एवं नीलामी हेतु रियायत देने के पूर्व ग्राम सभा से अनुमति लिया जायेगा।

4. प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और पर्यवेक्षण।

5. समाज के सभी वर्गों के बीच एकता एवं सद्भाव को बढ़ावा देना।

6. मद्य निषेध करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बंधित करने संबंधित निर्णय सर्वमान्य होगा।

7. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों और सार्वजनिक कार्यों के लिए नकद या श्रम आदि में स्वैच्छिक योगदान जुटाना।

8. संविधान के 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों से संबंधित विभागो के मैदानी कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना।

9. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधि विरूद्धतय अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिए यथोचित कार्यवाही करने के लिए परामर्श देना।

10. स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, जैसे देवी-देवताओं का स्थान, पूजा-पाठ की प्रणाली, संस्थाएं (जैसे- गोटुल, धूमकूडिया) तथा मानव-वादी सामाजिक आचार-व्यवहारों को किसी भी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित करेगा।

11. ग्राम सभा पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता के सतत एवं पोषणीय उपयोग को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण, संवर्धन की योजना बना सकती है।

7. ग्राम सभा का अध्यक्ष

1. ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मिलन के एक माह के भीतर ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा।

2. ग्राम सभा का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा, जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या सदस्य न हो।

3. ग्राम पंचायत के जिस कार्यकाल में ग्राम सभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना है उस कार्यकाल में ग्राम पंचायत स्तर के किसी भी पद पर पराजित प्रत्याशी, ग्राम सभा अध्यक्ष नहीं बन सकेगा।

4. ग्राम सभा अध्यक्ष का निर्वाचन ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति/ बहुमत से किया जायेगा।

5. अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। ग्राम सभा अध्यक्ष पद चक्रानुक्रम में महिला/ पुरूष के लिए होगा।

6. ग्राम सभा अध्यक्ष बनने की अर्हता वहीं होगी जो ग्राम पंचायत सरपंच बनने की होती है।

7. ग्राम सभा चाहे तो अपने अध्यक्ष को 6 महिने बाद केवल एक बार 50 प्रतिशत के बहुमत से प्रस्ताव कर वापस बुला सकेगी।

8. अध्यक्ष किसी भी समय अपना त्याग पत्र ग्राम सभा के समक्ष रख कर ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात पद से मुक्त हो सकता है। इस हेतु उसके द्वारा समस्त प्रशासकीय औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जानी चाहिए।

9. अध्यक्ष का पद किन्हीं भी कारणों से रिक्त होने की दशा में 30 दिवस के भीतर उसी वर्ग के व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चयन किया जायेगा। जिसका कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा।

8. ग्राम पंचायत सचिव का ग्राम सभा के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व

1. ग्राम पंचायत का सचिव या इस निमित्त शासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी ग्राम सभा का सचिव होगा।

2. ग्राम पंचायत सचिव या इस निमित्त शासन द्वारा नियुक्त कर्मचारी छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72- एवं छ.ग. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य)

नियम 1999 में उल्लेखित ग्राम सभा के प्रति निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा।

3. सभी ग्राम सभा की बैठक, विशेष बैठक एवं ग्राम सभा की स्थायी समितियों की कार्यवाही पंजी का संधारण ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति प्रतिवेदन ग्राम सभा अध्यक्ष के अनुशंसा से ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

5. ग्राम सभा आयोजन के पूर्व महीनों के सचिव का दैनंदिनी कार्यक्रम ग्राम सभा में अनुमोदित किया जायेगा।

6. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम मतांकन किया जायेगा। द्वितीय मतांकन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी का मतांकन मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत करेंगे।

9. कार्यालय

1. ग्राम पंचायत कार्यालय में ही समस्त ग्राम सभा के अभिलेखों को संधारित किया जायेगा।

10. ग्राम सभा की बैठकों की, तारीख, स्थान व समय

1. ग्राम सभा की बैठक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जावेगी, जहां ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य बिना किसी रूकावट के उपस्थित हो सके।

2. शासन द्वारा निर्धारित ग्राम सभा के अतिरिक्त ग्राम सभा अध्यक्ष किसी भी समय या ग्राम सभा के कुल सदस्यों में 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों द्वारा जो भी कम हो, द्वारा लिखित में अपेक्षा किए जाने पर 07 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलायेगा।

3. ग्राम सभा नियमित अंतराल पर भी ग्राम सभा बैठक आयोजित करने हेतु व्यवस्था बना सकेगी। ऐसी नियमित बैठक की तिथि (अंग्रेजी तारीख या सप्ताह का दिन), समय, और स्थान ग्राम सभा द्वारा ही स्थाई रूप से तय किया जा सकेगा। इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु ऐसी बैठक के 3 दिन पहले गांव में ऐसी बैठक की सूचना की मुनादी किया जाये।

4. अनिवार्य 6 ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित होने के 3 दिवस पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक होगी। ग्राम सभा बैठक पश्चात ग्राम पंचायत की आगामी मासिक बैठक में ग्राम सभा में लिए गये निर्णय अनुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. ग्राम सभा की वार्षिक बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर होगा।

11. ग्राम सभा की गणपूर्ति/ कोरम

1. ग्राम सभा की बैठक का कोरम ग्राम सभा के कुल सदस्यों की एक तिहाई से होगी जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य होंगी। परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन के संबंध में कोई भी निर्णय हेतु कोरम कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत अनिवार्य होगा जिससे एक तिहाई से अन्यून महिला सदस्य होंगी।

2. यदि ग्राम सभा में कोरम पूर्ति नहीं है तो ग्राम सभा अध्यक्ष ऐसी बैठक को आगामी तारीख या समय के लिये स्थागित कर देगा। तथा आशय का सूचना विहित रीति से दिया जायेगा।

3. दो स्थागित बैठकों में भी कोरम पूर्ति आवश्यक होगी। किंतु तीसरी स्थागित बैठक में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं होगी। परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन के संबंध में कोई भी निर्णय हेतु दो स्थागित बैठकों के बाद के स्थागित बैठक में भी कम से कम 25 प्रतिशत कोरम पूर्ति अनिवार्य होगी।

12. निर्णय लेने का तरीका

1. ग्राम सभा में सामान्यता: सर्वसम्मति से निर्णय लिए जायेंगे।
2. सर्वसम्मति नहीं होने पर बैठक आगामी तिथि जो अधिकतम सात दिवस हो सकती है, के लिए स्थागित की जायेगी जिसकी सूचना बैठक में दी जायेगी।
3. दो बार सर्वसम्मति नहीं होने की स्थिति में तीसरी बैठक में नियम 11 (3) के अध्यधीन रहते हुए उक्त बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से फैसला किया जायेगा। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
4. ग्राम सभा के 10 प्रतिशत या 50 लोग, जो भी कम हो, के द्वारा ग्राम सभा के अध्यक्ष को लिखित में ग्राम सभा के किसी निर्णय पर पुर्नविचार हेतु आवेदन करने पर ग्राम सभा की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से पुर्नविचार किया जायेगा।

13. ग्राम सभा की अभिलेख संधारण प्रक्रिया

1. ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों को पंजी में इंद्राज कर ग्राम सभा के उसी बैठक में सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ कर सुनायेगा।
2. कार्यवाही पंजी पर अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या दर्ज किया जायेगा। उपस्थिति पंजी पृथक से संधारित किया जायेगा
3. बैठक कार्यवाही विवरण हिन्दी में देवनागरी लिपि या स्थानीय भाषा एवं लिपि में भी लिखा जा सकेगा।
4. ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत की जावेगी।

14. ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति

1. ग्राम सभा के निर्णय से प्रभावित व्यक्ति या शासकीय विभाग ग्राम सभा में अपील कर सकता है इस पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक में पुनर्विचार हो सकता है।
2. ग्राम सभा में पुनर्विचार नहीं होने या ग्राम सभा के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष अपील किया जा सकता है।

15. ग्राम सभा के निर्णयों की अवहेलना

1. ग्राम सभा के निर्णय अथवा अधिकारिता की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या विभाग के विरूद्ध ग्राम सभा उचित कार्यावाही हेतु विहित प्राधिकारी को सूचित कर सकेगी।

16. ग्राम सभा की संयुक्त बैठक

1. ऐसे विषय जिसका संबंध एक से अधिक ग्राम सभा से हो, इस हेतु संयुक्त ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है
2. संयुक्त सम्मिलन में किया गया विनिश्चय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिश्चय माना जायेगा।

3. संयुक्त बैठक के अध्यक्ष ऐसे भाग लेने वाली ग्राम सभाओं के अध्यक्षों में से चुना जायेगा।

4. संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से न्यूनतम 33 प्रतिशत व्यक्ति अथवा 30 सदस्य, जो भी अधिक हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगा। जिनमें न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगे।

17. ग्राम सभा की समिति

1. ग्राम सभा की कार्यकारी समिति ग्राम पंचायत होगी।

2. ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगी।

3. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 46 के अंतर्गत गठित स्थायी समितियां ग्राम सभा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगी।

4. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन समिति (RPMC) तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन कर सकेगी। इन समितियों के अतिरिक्त ग्राम सभा अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार एक से अधिक समितियों का गठन कर सकेगी।

5. उक्त नियम के लागू होने के पश्चात वर्तमान में गठित सभी समानांतर समितियां समाप्त की जा सकेगी एवं भविष्य में अन्य कोई भी समानांतर समिति ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा के स्थायी समितियों के अधीन गठित की जा सकेगी।

18. विशेष सभा (महिला सभा, बाल सभा) की बैठक-

1. महिला सभा में गांव की सभी वयस्क महिला सदस्य होगी, अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगी, यह प्रयास किया जाये कि प्रत्येक ग्राम सभा के पूर्व महिला सभा हो किन्तु वर्ष में कम में कम 02 बैठकें अनुवार्य होगी।

2. दिव्यांगजन, तृतीय लिंग समूह, वरिष्ठ नागरिक एवं वंचित समूहों की वर्ष में कम से कम पृथक से एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाये।

3. वर्ष में एक बार बाल सभा का आयोजन किया जा सकेगा। बाल सभा में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालक-बालिकाएं सम्मिलित हो सकेंगे।

4. महिला सभा, बाल सभा एवं विशेष सभा में लिए गये निर्णय पर ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से चर्चा में सम्मिलित किया जावेगा।

अध्याय-3
कार्यकारी समितियां

19. संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC)

1. RPMC गांव के समग्र विकास हेतु योजना तैयार करेगी, योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेगी, लघु वनोपज, गौण खनिज तथा लघु जल निकायों को प्रबंधन करेगी एवं ग्राम सभा के सामुदायिक संपत्तियों को एक रजिस्टर में दर्ज कराएंगी।

2. RPMC में ग्राम सभा से 10 सदस्य होंगे जिनका चयन ग्राम सभा के सदस्यों में से किया जायेगा। जिसमें जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं 50 प्रतिशत सदस्य महिला होंगे।

3. गांव में रहने वाले सभी जनजाति एवं अन्य समूह का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु ग्राम सभा पहल कर सकती है।

4. ग्राम सभा के अध्यक्ष RPMC के पदेन अध्यक्ष होंगे।

20. शांति एवं न्याय समिति

1. गांवों में आपसी समन्वय एवं परामर्श से विवादों का समाधान कर एक स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण करेगी।

2. गांव की शांति भंग करने वाली घटनाओं की जांच कर तत्काल कार्रवाई करेंगी और ग्राम सभा को रिपोर्ट करेगी।

3. ग्राम सभा स्थायी समिति शांति एवं न्याय समिति होगा। इस समिति में अधिकतम 10 सदस्य होंगे। जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं 50 प्रतिशत सदस्य महिला होंगे।

4. ग्राम सभा के अध्यक्ष शांति एवं न्याय समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

5. गांव में रहने वाले सभी जनजाति एवं अन्य समूह का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु ग्राम सभा पहल कर सकती है।

अध्याय - 4

ग्राम सभा के संसाधन, कृत्य एवं योजनाएं

21. वार्षिक और दीर्घाकालिक योजना

1. जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट निर्माण हेतु संविधान के 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों से संबंधित विभागों द्वारा अपने विभाग के बजट की जानकारी परिशिष्ट-1 में दर्शित समय सारिणी अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2. विभागों द्वारा प्रतिवर्ष मई माह तक प्रचलित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट में अनुशंसित अधोसंरचना, हितग्राही मूलक एवं प्रशिक्षण मद के प्रावधानों की जानकारी ग्राम पंचायतवार अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

22. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रमों, परियोजनाओं अथवा निर्माण कार्यों का अनुमोदन

1. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-7- (ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समस्त वार्षिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व अनुमोदित करेगा।

2. कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र लगाने से पूर्व, ग्राम सभा से कार्यों की गुणवत्ता एवं उस पर व्यय आदि के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।

3. कार्य की गुणवत्ता, व्यय आदि के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर उचित कार्यवाही कर सकती है।

23. ग्राम सभा / ग्राम पंचायत कोष

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो कोष होंगे-

1.1 पंचायत निधि :- जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से प्राप्त राशि, अनुदान, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से प्राप्त राशि, फीस की राशि रखी जायेगी।

1.2 ग्राम सभा कोष :- यह कोष प्रत्येक ग्राम सभा के लिए पृथक-पृथक संधारित की जावेगी। इसमें ग्राम सभा क्षेत्र में गौण खनिज के नीलामी की राशि, लघुवनोपज से प्राप्त रायल्टी, तालाब लीज, तथा ग्राम सभा द्वारा आरोपित जुर्माना एवं स्वयं के आय के स्त्रोत से प्राप्त राशि रखी जायेगी।

2. यह खाते किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाये जायेंगे।

3. खातों का संचालन ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4. पंचायत निधि से राशि आहरण हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक होगा।

5. ग्राम सभा कोष से राशि आहरण करने हेतु संबंधित ग्राम सभा के अनुमोदन से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होगा।

6. पंचायत निधि तथा ग्राम सभा कोष का लेखा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार रखा जावेगा तथा नियमानुसार इनका अंकेक्षण किया जायेगा।

24. मानव संसाधन

1. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में पंचायत राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित 29 विषयों से संबंधित विभागों के मैदानी कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण, उपस्थिति, गोपनीय प्रतिवेदन, अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में ग्राम पंचायत/ संबंधित विभाग को परामर्श दे सकेगी।

25. सामाजिक क्षेत्र की समीक्षा

1. ग्राम सभा के द्वारा स्थानीय संस्थाओं जैसे कि आंगनबाडी केन्द्रों, स्कूलों, अस्पतालों आदि की पर्यवेक्षण करेगी तथा उनमें आवश्यक सुधार के लिए निर्देश दे सकेगी।

2. ग्राम सभा ग्राम पंचायतो की स्थायी समितियों के माध्यम से इन संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगी।

अध्याय - 5

प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) का प्रबंधन/ पर्यवेक्षण/ संवर्धन

जल प्रबंधन

26. जल संसाधनों एवं लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन

1. गांव की सीमा में आने वाले जल निकाय, जलीय संरचना, तटीय क्षेत्र, तालाब, झील, पोखर, डबरी या अन्य किसी नाम से जाने जाने वाली संरचनाएं आएगी जिसका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर तक हो, का उपयोग एवं संरक्षण ग्राम सभा के परामर्श से किया जायेगा।

2. ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र के भीतर अधिकतम 0-10 हेक्ट. तक के जल निकायों का प्रबंधन ग्राम पंचायत, 10 से अधिक किंतु 100 हेक्ट. तक जनपद पंचायत तथा 100 से अधिक किंतु 200 हेक्ट. तक जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।

3. ग्राम सभा गांव में उपलब्ध पानी का उपयोग में पेयजल, निस्तार, सिंचाई का प्राथमिकता रख सकेगी।

27. सिंचाई प्रबंधन

1. सिंचाई जल के उपयोग एवं वितरण का नियंत्रण संबंधित विभाग ग्राम सभा के परामर्श से करेगा।

2. सिंचाई प्रबंधन में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसे ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति के समक्ष रखा जायेगा। ग्राम सभा स्तर पर विवाद का समाधान नहीं होने की स्थिति में प्रकरण कलक्टर को प्रेषित किया जा सकेगा।

28. मत्स्य पालन

1. ग्राम सभा अपने नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय/ सामुदायिक लघु जल निकायों में मत्स्य पालन का नियंत्रण/ नियमन संसाधन योजना और प्रबंधन समिति के माध्यम से करने के लिए सक्षम होगी।

2. स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता व प्रजातियों की विविधता को बनाये रखने के लिए ग्राम सभा मत्स्य आखेट पर नियंत्रण कर सकेगी।

3. ग्रामीणों के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा मत्स्य उपयोग एवं विक्रय हेतु प्राथमिकता तय कर सकती है।

29. जल संसाधनों में प्रदुषण

1. शासकीय/ सामुदायिक अथवा निजी जल निकायों में किसी भी प्रकार के प्रदुषण को रोकने हेतु ग्राम सभा निर्देश जारी कर सकती है।

वन प्रबंधन

30. लघु वनोपज का प्रबंधन व नियमन

1. ग्राम सभा क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, लघु वनोपज का स्वामित्व तथा प्रबंधन, वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ग) के अनुसार होगी।

2. गौण वन उपज के निपटान अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 2 (1) (घ) के अनुसार होगी।

3. ग्राम सभा परंपरा से वनोपज संग्रहण करने वाले ग्रामीणों से भिन्न अन्य लोगों के लिए वनोपज का संग्रहण प्रतिबंधित कर सकती है या चक्रीय व्यवस्था लागू कर सकती है अथवा संसाधन विहिन परिवार को उसका उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

4. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में लघुवनोपज के प्रसंस्करण के लिए कोई भी इकाई स्थापित करने की सहमति दे सकेगी।

31. लघु वनोपज की खरीदी-बिक्री और रायल्टी/शुल्क संबंधी निर्णय

1. एक या एक से अधिक ग्राम सभाएं संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से ऐसे अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है, की खरीदी के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकते हैं।

2. ग्राम सभा स्वयं या शासन द्वारा गठित समूह या फेडरेशन के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों का विपणन कर सकती है।

32. वनों के संरक्षण व विकास के लिए योजना

1. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वने के संरक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (झ) के अनुसार ग्राम सभा की होगी।

2. ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन RPMC के माध्यम से करेगी।

3. परिवार और सामुदायिक जरूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी और मरी हुई लकड़ी, बांस पारंपरिक संस्कार में लगने वाले पदार्थों के न्यूनतम आवश्यकतानुसार वन से निकालने के लिए ग्राम सभा व्यवस्था बनाएगी।

4. प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभा समूह अपने अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के हितों, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिए सक्षम है।

33. वन विभाग के कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व ग्राम सभा का परामर्श

1. वनों और वनोपज के दोहन के लिए विभागीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने से पहले वन विभाग ग्राम सभा से परामर्श लेगा।

2. क्रियान्वयन में यह ध्यान रखना होगा कि जंगल का दोहन ग्राम सभा द्वारा बनाई गई प्रबंधन योजना के अनुरूप हो और ऐसे कोई पौधे पेड़ न काटे जाएं जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी हों और कोई वन उपज का अवैध निर्यात न हो।

34. वन अपराध संबंधी कार्यवाही

1. यदि स्थानीय वन अधिकारी को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में वन अपराध या उसके होने के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वह सुसंगत वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्यवाही करेगा तथा की गई कार्यवाही के संबंध में शांति एवं न्याय समिति को सूचित करेगा।

भूमि प्रबंधन

35. भूमि प्रबंधन का रिकार्ड संधारण

1. पटवारी एवं बीट गार्ड गांव की सीमा के भीतर के राजस्व और वन अभिलेख-नक्शा, खसरा, बी-1 आदि की अद्यतन प्रति वर्ष में एक बार विभाग का वित्तीय वर्ष शुरू होने के प्रथम सप्ताह में ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएंगे।

2. ग्राम सभा से प्राप्त निजी भूमि/ शासकीय भूमि के अभिलेखों में त्रुटि सुधार की अनुशंसा को पटवारी 15 दिवस के अंदर सक्षम राजस्व अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) / बीट गार्ड को भेजेगा। सक्षम अधिकारी 3 माह के भीतर त्रुटि सुधार के प्रकरण का निराकरण कर ग्राम सभा को पटवारी के माध्यम से सूचित करेगा।

3. शासकीय अथवा सामुदायिक भूमि के उपयोग मे परिवर्तन होने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना होगा। निजी भूमि हस्तांतरण, लीज, पट्टा, अनुबंध कृषि, बिक्री, गिरवी अथवा अन्य किन्ही कारणों से भूस्वामी परिवर्तित होने की स्थिति में ग्राम सभा को सूचना देना होगा।

4. ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी कि शासकीय कार्यों में उपयोग, भू-अधिग्रहण, वैध उत्तराधिकार एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी भूमि गैर जनजाति व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होगी।

5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के जमीन की नीलामी की स्थिति में ग्राम सभा उक्त भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने की पहल करेगी।

6. अनुसूचित जनजाति की ऐसी कोई भूमि जो उत्तराधिकार या अन्य किन्ही कारणों से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अंतरण की गई हो, ऐसी भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा उसके परिवार को वापस अंतरण करने हेतु ग्राम सभा पहल करेगी।

36. भूमि-अधिग्रहण /शासकीय क्रय/ हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा की सहमति

1. शासन में प्रचलित सभी कानून/ नीति के अंतर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना होगा।

2. ऐसे ग्राम सभाओं में ग्राम सभा के सदस्यों तथा शासकीय व्यक्तियों एवं शासन द्वारा परियोजना से संबंधित अधिकतम अधिकृत दो व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित होगी।

3. भूमि अधिग्रहण करते समय परियोजना का विस्तुत विवरण ग्राम सभा के समक्ष रखे जायेंगे, जिसमें परियोजना का प्रभाव, पुनर्वास, आजीविका आदि शामिल होगा।

4. भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में संबंधित प्राधिकरण या विभाग भूमि अधिग्रहण की शर्तों एवं उद्देश्यों से ग्राम सभा को अवगत करायेगा।

5. भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्णय के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

37. भूमि की वापसी

1. अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की ऐसी जमीन जो स्वयं अथवा उसके पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जा रहा था या जिस पर उस व्यक्ति का पट्टा था, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, तो उस मामले में ग्राम सभा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख-2 (क) के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगी।

2. विवादित भूमि पर कब्जा वापिस दिलाने के लिए ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति कार्यवाही करेगी।

3. यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि पर कब्जा दिलवाने में असमर्थ रहती है तो ग्राम सभा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को देगी।

4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 3 महीने के भीतर अथवा कृषि का मौसम आने के पहले, जो भी पहले हो, कब्जा प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही को पूरा करेगा तथा की गई कार्यवाही से ग्राम सभा को अवगत करवाएगा।

38. अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुर्नवास

1. शासन द्वारा जारी प्रचलित पुर्नवास नीति के प्रावधान अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों का पुर्नवास होगा।

2. भूमि अधिग्रहण करने वाली विभाग/ ऐजेंसी ग्राम सभा के समक्ष पुनर्वास का सम्पूर्ण विवरण लिखित में भी प्रस्तुत करेगी।

3. पुनर्वास नीति अनुसार कार्यवाही नहीं होने पर कलेक्टर को लिखित में सूचना दी जायेगी। जिला कलेक्टर तीन माह के भीतर ऐसी सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही कर ग्राम सभा को अवगत करायेगा।

4. पुर्नवास या पुनर्व्यस्थापन पैकेज में निम्नलिखित बातें ध्यान रखी जायगी -

    1. अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक प्रभावित परिवार को सिंचित भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

    2. प्रभावित परिवार को यथासंभव विस्थापन क्षेत्र के निकटतम उनके द्वारा चयनित प्राकृतिक क्षेत्र में एक सघन सामाजिक समूह के रूप में किया जायेगा जिससे उनकी भाषाई एवं सांस्कृतिक अस्तित्व बना रहे।

    3. परिवार को, वार्षिक वनोपज संग्रहण की मात्रा/ दिवस के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देय होगा। जो प्रति परिवार रू 50 हजार प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा उक्त राशि को 30 वर्ष हेतु गणना किया जायेगा।

खदान एवं खनिज का प्रबंधन

39. गौण खनिजों की योजना के लिए ग्राम सभा की शक्ति

1. गौण खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा प्रदान करने, नीलामी के पूर्व ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु परियोजना का विस्तृत विवरण ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

2. ग्राम सभा RPMC के माध्यम से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।

3. ग्रामीण अपनी पारंपरिक जरूरतों के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति से गौण खनिजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हेतु ग्राम सभा अधिकतम मात्रा/ क्षेत्रफल तय कर सकती है।

4. गौण खनिज से प्राप्त राजस्व को त्रि-स्तरीय पंचायती के विकास कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार पुन: आबंटित किया जायेगा।

5. ग्राम सभा उत्खनन एवं पट्टे हेतु शर्तों का सुझाव दे सकती है। साथ ही इससे होने वाले पर्यावरणीय क्षति को यथा संभव ठीक करने हेतु निर्देश दे सकती है।

6. ग्राम सभा क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु ग्राम सभा शांति एवं न्याय समिति के माध्यम से कार्यवाही कर सकेगी।

7. ग्राम सभा क्षेत्र में उत्खनन पट्टे /अनुबंधों की शर्तों का पालन नहीं होने तथा अवैध उत्खनन को रोकने में ग्राम सभा द्वारा कार्यवाही नहीं कर सकने की स्थिति में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित किया जायेगा जो 30 दिवस के भीतर कार्यवाही कर ग्राम सभा को सूचित करेंगे।

शांति एवं सुरक्षा तथा विवाद समाधान

40. शांति एवं सुरक्षा तथा विवाद समाधान में ग्राम सभा की भूमिका-

(क) सामुदायिक परंपराओं और संविधान, कानून और प्रासंगिक नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में ग्राम सभा सक्षम होगी।

(ख) ग्राम सभा द्वारा सुने जाने वाले विवाद-

1. ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार मामलो की सुनवाई कर सजा देने में सक्षम होगी।

2. उक्त समिति के निर्णय के विरूद्ध ग्राम सभा में अपील की जा सकेगी।

(ग) विवाद समाधान की प्रक्रिया-

1. किसी विवाद की सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी, किंतु ऐसे मामले जिनमें शासन के नियमानुसार व्यक्ति के निजता का ध्यान रखा जाना है, ऐसे मामलों की सुनवाई पृथक से की जा सकती है।

2. अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले, संबंधित को अपने पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाये।

3. यदि शांति एवं न्याय समिति में किसी मामले पर आम सहमति नहीं बनती तो ऐसे मामले को ग्राम सभा की आगामी बैठक में अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी जिस पर ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. किसी भी विवाद को हल करने का मुख्य उद्देश्य विवाद के कारण को पूरी तरह से खत्म करना और गांव में शांति, सौहार्द्र एवं आपसी भाईचारा का माहौल बनाना होगा।

41. ग्राम सभा द्वारा दंड

1. दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कोई औपचारिक दंड अपवाद स्वरूप ही दिया जायेगा। आमतौर पर ग्राम सभा के समक्ष गलती स्वीकार करना, उसके लिए खेद व्यक्त करना, समुदाय से क्षमा प्रार्थना और भविष्य में गलती न दोहराने का वादा ही समुचित दंड माना जायेगा।

2. अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखकर ग्राम सभा संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार अधिकतम सीमा तक जुर्माना लगा सकती है।

42. गिरफ्तारी की कार्यवाही

1. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के मामलो में 15 दिवस के भीतर ग्राम सभा को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी।

2. गिरफ्तारी के समस्त मामलों में पुलिस शांति एवं न्याय समिति के अध्यक्ष को यथाशीघ्र किंतु अधिकतम 7 दिवस के भीतर गिरफ्तारी का कारण एवं निरूद्ध किये गये स्थल की जानकारी देगा।

मादक पदार्थ पर नियंत्रण

43. नशीली पदार्थों पर नियंत्रण

1. ग्राम सभा को अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्यों के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति होगी।

2. ग्राम सभा गांव में नशा मुक्ति के लिए प्रयास करेगी तथा मद्यपान करने वाले लोगों को समझाइश देकर नशामुक्ति हेतु प्रयास करेगी।

3. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 61 (घ) धारा 61 (ङ) एवं धारा 61 (च) अनुसार कार्यवाही कर सकेगी।

श्रम शक्ति नियोजन

44. श्रम शक्ति की योजना बनाने के लिए ग्रामसभा :

1. ग्राम सभा अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर सकेगी।

2. सभी विभाग/ संस्था द्वारा प्रत्येक काम से संबंधित मस्टररोल प्रत्येक तिमाही में ग्राम सभा में समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

45. गांव के बाहर काम करने वाले श्रमिकों का नियमन

1. राज्य से बाहर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने कार्य के प्रकृति एवं शर्तों की संपूर्ण जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध करायेंगे। जिनका संधारण रजिस्टर एवं विभाग द्वारा बनाये गये एप में रहेगा।

2. प्रवासी श्रमिकों के समस्या की सूचना प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति संबंधित विभागो से परामर्श कर उनकी समस्या समाधान का प्रयास करेगी।

3. शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं, कानूनी प्रावधान, विधिक सहायता आदि का अधिकतम लाभ श्रमिको को प्राप्त हो, इस हेतु ग्राम सभा प्रयास करेगी।

46. कार्यानुसार मजदूरी निर्धरण

1. तय मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2. किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर अथवा व्यक्ति के श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है या न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर भुगतान किया जाता है। तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति कार्यवाही कर सकती है।

गांव हाट बाजार के प्रबंधन व नियमन

47. गांव के हाट-बाजार का प्रबंधन और नियंत्रण

1. छ.ग.पं.रा.अधि. 1993 की धारा- 129 (ग) (पांच)- ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जान जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध किया जायेगा उक्त हेतु (छ.ग. पंचायत ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। ग्राम सभा से अनुमति लेगा, साथ ही निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा -

(क) बाजार में हानिकारक वस्तुओं की आमद और बिक्री पर रोक लगा सकता है।

(ख) अधिक कीमत पर विक्रय सहित सभी अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाना।

(ग) बाजार में जुआ, सट्टेबाजी, भाग्य परीक्षण, मुर्गा लड़ाई आदि पर प्रतिबंध लगा सकता है।

(घ) बाजार के दुकानदारों पर कर लगा सकता है, किंतु छोटे विक्रेताओं को कर से छूट प्रदान किया जा सकता है।

(ङ) गांव अथवा बाजार क्षेत्र में कार्य करने वाले कोचियों/ मध्यरथों/ बिचोलियों जो वस्तुओं की वास्तविक खरीददार एवं विक्री-कर्ता नहीं है, उनके गांव क्षेत्र में कार्य करने हेतु नियम बना सकेगी।

48. हाट-बाजार हाटुम समिति/ मार्केट समिति

1. गांव में स्थित बाजार के प्रबंधन के लिए ग्राम सभा एक बाजार समिति का गठन कर सकेगी तथा अवश्यकतानुसार किसी सदस्य को बाजार अधीक्षक नियुक्त कर सकती है।

2. ग्राम सभा बाजार में व्यापार हेतु लाईसेंस/ अनुज्ञप्ति प्रदान करने, लाईसेंस की शर्ते तय करने में सक्षम होगी। लाईसेंस प्रदान करने में स्थानीय व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

साहूकारी पर प्रतिबंध

49. लेन देन पर नियंत्रण अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया

1. छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 2010 की धारा 1 के उपधारा 2 अनुसार "इसका विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।" अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी पूर्णत: प्रतिबंधित है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं सेबी में पंजीकृत संस्थायें ही अनुसूचित क्षेत्र में कर्ज लेन देन हेतु अधिकृत होंगे।

3. ऐसी संस्थाओ को ग्राम पंचायत भवन या अन्य सार्वजनिक स्थान पर ब्याज की दर के संबंध में एक सूचना पटल लगाना अनिवार्य होगा।

4. इन संस्थाओं को ग्राम सभा क्षेत्रों में दिये गए ऋण, ब्याज की दर ऋण की शर्तों के संबंध में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल के ग्राम सभा में लिखित जानकारी देना आवश्यक है।

5. पंजीकृत संस्थाओं के अतिरिक्त किसी सहूकारी की जानकारी प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति ऐसे साहूकारो के विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगी।।

6. ऋण चुकाने में असफल होने की स्थिति में व्यक्ति पर वसूली भूमि की नीलामी, कुर्की अथवा कानूनी कार्यवाही के प्रकरणो में ग्राम सभा कर्जदार के न्यूनतम आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी।

विविध

50. जैव-विविधता को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

1. ग्राम सभा पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता के सतत एवं पोषणीय उपयोग को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण, संवर्धन की योजना बना सकती है।

2. लुप्तप्राय वन्य एवं जैव प्रजातियों का संरक्षण एवं पुर्नवास कर स्थानीय जैव विविधता का पुन:स्थापना का प्रयास करेगी।

3. महत्वपूर्ण पारंपरिक वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, धरोहरों, वृक्षों सूक्ष्म जीवों, पवित्र कुंजो एवं जलाशयों का संरक्षण का प्रयास करेगीं।

51. खेती के लिए योजना बानाने के लिए ग्राम सभा

1. ग्राम सभा कृषि हेतु योजना बनाने, रासायनिक या जैविक खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों, उर्वरक के उपयोग के संबंध में विभाग को परामर्श दे सकती है।

2. ग्राम सभा आपसी सहयोग/ श्रम के माध्यम से - मिटटी कटाव को रोकने, चराई को विनियमित करने एवं चारगाहों की क्षमता को बढ़ाने, वर्षा जल को संग्रहण कर, उसका उपयोग निस्तर व सिंचाई में करने में सक्षम होगी।

52. आजीविका मूलमक गतिविधि

1. ग्राम सभा अपने क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक सभी वयस्क सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करेगा।

2. परंपरागत व्यवसाय हेतु स्थानीय कच्चे माल की रियायती दर पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

3. ग्रामीणों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था कर सकेगी, तथा ग्राम की विशिष्ट ज्ञान का प्रसार कर सकेगी।

4. 29 विषयों से संबंधित विभागों के राज्य पोषित आजीविका मूलक प्रशिक्षण का सम्पूर्ण क्रियान्वयन ग्राम सभा की अनुशंसा से ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकेगा।

53. सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही

1. पारंपरिक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं (गोटूल, धुमकुरिया इत्यादि) तथा आधुनिक शासकीय एवं निजी विद्यालयों के विकास, संरक्षण और संवर्धन हेतु ग्राम सभा प्रयास करेगी।

2. ग्राम सभा स्थानीय भाषा (गोंडी, हल्बी, कुडुख, सादरी, बिरहोर, कमार, भतरी, दोरला, बैगा, धुरवा आदि) को शामिल करते हुए त्रिभाषा आधार पर (स्थानीय भाषा-हिंदी-अंग्रेजी) के आधार पर स्थानीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को संचालित करने हेतु प्रयास करेगी।

54. अंधविश्वास जादू टोना इत्यादि के मामले

ग्राम सभा अंधविश्वास और जादू टोना पर रोक लगाने का प्रयास करेगी।

55. अधिनियम/ नियमों में संशोधन

पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 (क) के अनुरूप इस नियम के प्रकाशन होने के एक वर्ष के भीतर नियम के विभिन्न कंडिकाओं में उल्लेख अनुसार शासन के विभिन्न विभाग आवश्यकता अनुसार राज्य अधिनियम/ नियमों / आदेशों/ निर्देशों/ परिपत्रों में संशोधन करेंगे, तथा यदि संघ सरकार के किसी अधिनियम/ नियमों से संशोधन की आवश्यकता हो तो इस हेतु पहल किये जायेंगे।

56. निरसन

इन नियमों के प्रवृत्त होने पर इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में प्रवृत इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जायेगे।

परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों की किन्हीं उपबंधों की असंगत न हो यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रसन्ना आर., सचिव

परिशिष्ट- 1 (नियम- 21 के अंतर्गत)

क्रमांक	तिथि	अपेक्षित कार्यवाही	स्तर
1.	30 जुलाई	विभागों द्वारा विभागीय बजट की जानकारी जिला पंचायत को उपलब्ध करायेगा।	जिला पंचायत
2.	15 अगस्त	जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों को जानकारी प्रेषित किया जायेगा।	जनपद पंचायत
3.	30 अगस्त	जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत वार जानकारी प्रेषित किया जायेगा।	ग्राम पंचायत
4.	30 अक्तूबर	ग्राम पंचायतो द्वारा वार्षिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार कर जनपद पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।	ग्राम पंचायत
5.	15 नवम्बर	जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के योजनाओं को संकलित कर जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा।	जनपद पंचायत
6.	30 नवम्बर	जिले की वार्षिक योजना तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जायेगा।	जिला पंचायत

परिशिष्ट- 2 (नियम- 40 के अंतर्गत)

नियमों के तहत ग्राम सभा द्वारा आईपीसी के तहत अपराध एवं सजा

क्रमांक	आईपीसी के तहत धारा	अपराध	अधिकतम सजा
1.	160	शांति भंग।	100 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
2.	264	वजन तोलने के लिए कपटपूर्ण उपयोग	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
3.	265	गलत बॉट अथवा मापक का कपटपूर्ण उपयोग।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
4.	266	गलत बॉट अथवा मापक का कब्जे में होने पर।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
5.	267	गलत बॉट अथवा मापक बनाना अथवा बेचना।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
6.	277	सार्वजनिक स्त्रोत अथवा बांध के पानी को प्रदूषित करना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
7.	283	सार्वजनिक स्त्रोत अथवा जलमार्ग में खतरा	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
8.	288	भवन की मरम्मत अथवा ध्वस्त करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
9.	289	जानवरों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
10.	290	अन्यत्र प्रावधान न होने वाले मामलों में सार्वजनिक उपद्रव।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
11.	294	अश्लील गाने एवं कार्य।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
12.	298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से जानबूझकर अपशब्द बोलना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
13.	323	अपने आप नुकसान पहुचाना।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
14.	334	भड़काने पर स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
15.	341	गलत तरीके से प्रतिरोध।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
16.	374	गैरकानूनी आवश्यक श्रम।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
17.	379	चोरी	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
18.	403	बेईमानी से संपत्ति हड़पना।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
19.	411	चोरी की संपत्ति बेईमानीपूर्ण तरीके से	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।

		प्राप्त करना।	
20.	417	बेइमानी।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
21.	426	शरारत।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
22.	427	शरारत जिसमें पचास रूपये की धनराशि तक का नुकसान हो।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
23.	500	मानहानि।	500 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
24.	504	शांति भंग के लिए भड़काने के इरादे से अपमान।	200 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
25.	506	आपराधि धमकी।	1000 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।
26.	510	शराब पिये हुए व्यक्ति द्वारा खुले आम दुर्व्यवहार।	10 रूपये से अधिक जुर्माना नहीं।

.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रसन्ना आर., सचिव